संख्या-41/2023/I/294178/002-71-2099-804-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषय:-एस0जी0पी0जी0आई0, रायबरेली रोड, लखनऊ में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना के कार्यो हेतु 05 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एन0बी0-104/534/2023, दिनांक 22.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना के कार्यो हेतु 05 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि संस्थान में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना के कार्यो हेतु शासनादेश दिनांक 16.04.2018 द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित लागत रू0 1007.03 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त परियोजना पर शासन के पत्र दिनांक 16.04.2018, 05.07.2021 एवं 28.09.2021 द्वारा क्रमश: रू0 493.44 लाख, रू0 275.34 लाख एवं रू0 204.99 लाख अर्थात कुल 973.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0, रायबरेली रोड, लखनऊ में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना के कार्यो हेतु 05 प्रतिशत रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 33.26 लाख (रूपये तैतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. संस्थान के निदेशक-अनुभाग (व्ययक-आय) वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त/1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-07 जून, 2022 में दी गयी व्यवस्था् का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनास्रोत से धनराशि स्वीसकृत नहीं की गयी है।/
3. प्रायोजना की मूल स्वीकृति संबंधी शासनादेश दिनांक 16.04.2018 की शर्ते यथावत रहेगी।
4. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मोदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी

5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है/, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।/
6. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
7. धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,26,000 (रुपये तैंतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-41/2023/I/294178/002-71-2099-804-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।